(580)

न्यायालय राजस्व मण्डल न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क .... 2017 निगरानी

R 594-I-17

शिवनारायण पुत्र श्री भैयालाल दण्डोतिया निवासी खरी पाठक रोड़ विदिशा (म0प्र0)

...............निगरानीकर्ता

श्री संजीव कुमार मिश्रा
द्वारा आज दि 7-2-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. रोशन लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल अरोरा निवासी स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा (म0प्र0)
2. श्रीमती हीरा बाई पत्नि जयराम गूजर निवासी मिर्जापुर तहसील व जिला विदिशा (म0प्र0)
3. नारायणी उर्फ शारदा बाई बेवा निहाल सिंह जाती गुर्जर (लिलोरिया)
4. धर्मदेव सिंह पुत्र रामधारी सिंह (फौत) बारिसान:

   4.1 इन्द्रासनी देवी पत्नि स्व. धर्मदेव सिंह

   4.2 दयाराम यादव पुत्र स्व. धर्मदेव सिंह निवासीगण--ग्राम मिर्जापुर तहसील विदिशा

   4.3 मनोज पुत्र स्व. धर्मदेव सिंह (फौत)

   4.3.1 पंकज यादव पुत्र स्व. मनोज यादव

   4.3.2 नीरज यादव पुत्र स्व. मनोज यादव नाबालिग सरपरस्त ताऊ दयाराम यादव निवासी स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा (म.प्र.)

   4.4 बच्चा यादव पुत्र धर्मदेव सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.)

   4.5 सोना यादव पुत्री स्व. धर्मदेव सिंह पत्नि अनुज यादव निवासी ग्राम दुपारिया तहसील व् जिला विदिशा (म.प्र.)
5. कबिन्द्र सिंह पुत्र रामधारी सिंह यादव निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.)

निवासीगण ग्राम दीघौरा तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा (म0प्र0)

(3)

.............प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांकित 21.10.2016 जो प्रकरण कमांक 07/निग0/15–16 में न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, विदिशा जिला–विदिशा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, प्रतिनिगरानीकर्तागण कमांक 03 लगायत 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विदिशा के प्रकरण कमांक 12/अ–6–अ/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 26.07.1995 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस आशय की निगरानी प्रस्तुत की गई कि प्रतिनिगरानीकर्तागण कमांक 03 लगायत 05 ग्राम मिर्जापुर पटवारी हल्का न0–47 तहसील व जिला विदिशा के स्थाई निवासी होकर कृषक हैं। ग्राम मिर्जापुर स्थित भूमि कमांक 157 में निम्न कृषक हैं। भूमि कमांक 157 में से भूमि कमांक 157/1/1 मिन रकवा 4.181 हेक्ट0 की प्रार्थिया कमांक 1, भूमि कमांक 157/1/2 मिन रकवा 2.206 हेक्ट0 व भूमि कमांक 157/2/1 मिन रकवा 0.256 हेक्ट0 भूमि का प्रार्थी कमांक 2 भ्जूमि कमांक 157/1/4 मिन रकवा 2.926 हेक्ट0 का प्रार्थी कमांक 3 एवं भूमि कमांक 157/1/5 रकवा 0.209 हेक्ट0 का प्रतिप्रार्थी कमांक 2, भूमि कमांक 157/2/2 रकवा 0.256 हेक्ट0 एवं भूमि कमांक 157/1/3 रकवा 0.209 हेक्ट0 की प्रतिप्रार्थी कमांक 3 भूमि स्वामी होकर मालिक काबिज है व मौके पर प्रत्येक काश्तकारान की पृथक पृथक मेडे डली हुई है व प्रथम प्रथम काश्त करते चले आ रहे हैं। ग्राम के नक्शे में सर्वे नंबर 157 के वटान नहीं थे इसलिये प्रार्थीगण एव प्रतिप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से आपसी सहमति से न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील विदिशा के प्रकरण कमांक 83/अ–3/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 23.12.1993 द्वारा वटान कराकर वटान स्वीकार किया जाकर नक्शे में वटान अमल हो गये। प्रतिप्रार्थी कमांक 1 शिवनारायण ने न जाने कब काला–काला तहसीलदार विदिशा के यहॉ आवेदनपत्र प्रस्तुत कर उक्त वटान अमल में संशोधन करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया इस पर न्यायालय तहसीलदार विदिशा ने अपने अधिकार क्षेत्र के वाहर प्रकरण कमांक 12/अ–6–अ/1994–95 दर्ज कर लिया। इस प्रकरण कार्यवाही में प्रार्थीगण व अन्य हितबद्व प्रक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाकर जानबूझकर म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाया एवं वगैर प्रार्थीगण हितबद्व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये वगैर फर्द वटवारा वुलाये वगैर एकपक्षीय रूप से मनमाने ढंग से दो वर्ष वाद पूर्व के नायब तहसीलदार विदिशा के आदेश दिनांकित 23.12.1993 को

(580)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-594-एक/17 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

.....प्रतिनिगरानीकर्तागण